संख्या–1681/24–1–10–1961/पी–1/05 टीसी–।

प्रेषक,

मो0 मारूफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक : 3 जून, 2010

विषयः– पारीछा तापीय परियोजना 2×250 मेगावाट द्वितीय विस्तार हेतु अंशपूँजी के रूप में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पत्र संख्या–144/मु0म0प्र0(वित्त)/उ0नि0लि0, दिनांक 18.05.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पारीछा तापीय परियोजना 2×250 मेगावाट द्वितीय विस्तार हेतु अंशपूँजी के रूप में वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु0 60,00,00,000 (रुपये साठ करोड़ मात्र) में से रू0 30,00,00,000/–(रूपये तीस करोड़ मात्र) को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उपरोक्त धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर किया जायेगा तथा तिथि की सूचना तत्काल ऊर्जा अनुभाग–1 को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि उसी मद में व्ययय की जायेगी जिस कार्य हेतु स्वीकृत की गयी है।

(3) उपर्युक्त धनराशि के आहरण की बाउचर संख्या तथा तिथि की सूचना मिलान कार्य हेतु तत्काल शासन को तथा निर्धारित प्रारूप पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा यदि इस परियोजना पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो।

(5) कार्यदायी संस्था/बी0एच0ई0एल0 के पक्ष में धनराशि तभी अवमुक्त की जायेगी यदि निर्धारित शर्तो (भुगतान संबंधी) के अनुसार ऐसा किया जाना अपेक्षित हो।

2– धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 के प्रपत्र संख्या–42 जी/शुद्धि पत्र संख्या–426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुरूप सक्षम अधिकारी द्वारा बिल बनाया जायेगा तथा उसे विशेष सचिव अथवा सचिव अथवा प्रमुख सचिव के प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत किया जायेगा। देयक के साथ परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3– इस शासनादेश में निर्धारित शर्तों का अनुपालन निगम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी काा दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त ऊर्जा विभाग/वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

4– स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या–9 के लेखाशीर्षक "4801–बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–02–ताप विद्युत शक्ति उत्पादन–190–सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश–09–उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम को पारीछा 2×250 मेगावाट द्वितीय विस्तार हेतु अंशपूँजी–30–निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–10–यू0ओ0–115/दस–2010, दिनांक 31 मई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मो0 मारूफ)
अनु सचिव।

संख्या–1681 (1)/24–1–10 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3– कोषाधिकारी, लखनऊ।
4– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–10
5– राज्य योजना आयोग–1
6– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मो0 मारूफ)
अनु सचिव।